



प्रेस नोट

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

दिनांक 21.08.2024

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा धोखाधडी के अभियोग में वाँछित 10,000/-रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 21.08.2024 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर धोखाधडी के अभियोगों में वाँछित 10,000/-रुपये का इनामी अभियुक्त युनुस मलिक पुत्र अल्लाराजी निवासी लोकप्रिय विहार खोडा कालोनी गाजियाबाद उम्र 58 वर्ष को इतवार पुस्ता थाना खोडा से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

युनुस मलिक पुत्र अल्लाराजी निवासी लोकप्रिय विहार खोडा कालोनी गाजियाबाद उम्र 58 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:

अभियुक्त युनुस मलिक उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोडा पर धोखाधडी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना खोडा पुलिस टीम ।

थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा धोखाधडी के अभियोग में वाँछित 10,000/- रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 21.08.2024 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर धोखाधडी के अभियोग में वाँछित 10,000/- रुपये का इनामी अभियुक्त अनुज गुप्ता पुत्र अमृत लाल गुप्ता निवासी 72 ए गुरु नानकपुरा शकरपुर दिल्ली मूल निवासी 16034 ATS एडवांटेज इंदिरापुरम गाजियाबाद उम्र 50 वर्ष को नहर पटरी इंदिरापुरम अण्डरपास थाना खोडा से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

अनुज गुप्ता पुत्र अमृत लाल गुप्ता निवासी 72 ए गुरु नानकपुरा शकरपुर दिल्ली मूल निवासी 16034 ATS एडवांटेज इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र 50 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:

गिरफ्तार अभियुक्त अनुज गुप्ता पुत्र अमृत लाल निवासी उपरोक्त के विरुद्ध थाना खोडा पर धोखाधडी के 04 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना खोडा पुलिस टीम।